उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

'उत्तराखण्ड का अपना बैंक
उत्तराखण्ड का उत्तम बैंक'

गंगोत्री

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की आन्तरिक गृह पत्रिका

बारहवां अंक - जनवरी 2018

नववर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनायें

हरिद्वार के दार्शनिक स्थल की जानकारी

हरिद्वार भारत देश का जाना माना तीर्थ स्थल है, मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते है, हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रदेश का एक जिला है, जो समुद्र तल से 314 मीटर ऊँचाई पर स्थित है, हरिद्वार से तात्पर्य यह है कि हरि मतलब भगवान विष्णु द्वार मतलब दरवाजा, इसका अर्थ है भगवान विष्णु तक पहुँचने का रास्ता, हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी बहती है। समुद्र मंथन के समय उज्जैन, नासिक, प्रयाग के साथ-साथ हरिद्वार में भी अमृत गिरा था, जिसके बाद से हर 12 वें साल में यहाँ महाकुम्भ मनाया जाता है, हरिद्वार भारत के सात पवित्र स्थल जिसे सप्तपुरी कहते है, उनमें से ये एक है, भारत के सात पवित्र स्थल इस प्रकार है:-

● अयोध्या ● मथुरा ● वाराणसी ● कांचीपुरम ● द्वारका ● उज्जैन ● हरिद्वार

Be swift to hear, slow to speak and very slow to wrath

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

'उत्तराखण्ड का अपना बैंक
उत्तराखण्ड का उत्तम बैंक'

गंगोत्री

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की आन्तरिक गृह पत्रिका

बारहवां अंक - जनवरी 2018

नववर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनायें

हरिद्वार के दार्शनिक स्थल की जानकारी

हरिद्वार भारत देश का जाना माना तीर्थ स्थल है, मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते है, हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रदेश का एक जिला है, जो समुद्र तल से 314 मीटर ऊँचाई पर स्थित है, हरिद्वार से तात्पर्य यह है कि हरि मतलब भगवान विष्णु द्वार मतलब दरवाजा, इसका अर्थ है भगवान विष्णु तक पहुँचने का रास्ता, हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी बहती है। समुद्र मंथन के समय उज्जैन, नासिक, प्रयाग के साथ-साथ हरिद्वार में भी अमृत गिरा था, जिसके बाद से हर 12 वें साल में यहाँ महाकुम्भ मनाया जाता है, हरिद्वार भारत के सात पवित्र स्थल जिसे सप्तपुरी कहते है, उनमें से ये एक है, भारत के सात पवित्र स्थल इस प्रकार है:-

● अयोध्या ● मथुरा ● वाराणसी ● कांचीपुरम ● द्वारका ● उज्जैन ● हरिद्वार

Be swift to hear, slow to speak and very slow to wrath

हरिद्वार उत्तराखण्ड की पहाड़ियों के बीच बसा सुंदर धार्मिक शहर है, जहाँ देश विदेश से लोग आते है। यहाँ हर तरफ भजन कीर्तन, घंटे की आवाज सुनाई देती है। हिन्दुओं के बड़े मुख्य तीर्थ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, ऋषिकेश जाने का रास्ता भी यही से शुरू होकर जाता है। हरिद्वार को माता सती का घर भी कहा जाता है, इसे गंगाद्वार, मायापुरी नाम से भी जानते है ।

हरिद्वार में घुमने वाले स्थान

हरिद्वार मुख्यता धार्मिक स्थान है, यहाँ बहुत पुराने मान्यता वाले मंदिर है, जिसकी अलग अलग कहानी और लोगों की आस्था है, यहाँ बहुत सारे सुंदर-सुंदर घाट भी है, जहाँ रोज गंगा जी की महाआरती होती हैं।

1. **हर की पैडी:-** हरिद्वार का ये मुख्य आकर्षण है, इसे ब्रह्मकुंड भी कहलाता है, माना जाता है कि विष्णु जी खुद आया करते है, उनके पद चिन्हों को आज भी देखा जा सकता है, यहाँ गंगा जी बड़ा घाट है, इस घाट के पहले गंगा जी पहाड़ियों से नीचे आती हुई ही दिखाई देती है, ये पहला मैदानी स्थान है, जहाँ गंगा जी आती है, कुम्भ मेला व अर्द्ध कुम्भ के समय ये घाट की रौनक देखने लायक होती है, उस समय ये मुख्य घाट हुआ करता है, इस घाट में अस्थि विसर्जन, मुण्डन का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है ।

2. **चंडी देवी मन्दिर:-** यह मंदिर दुर्गा माता के रूप चंडी का है, नवरात्र व कुम्भ के समय में यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता है, भारत देश में मौजूद माता सती के 52 शक्तिपीठ में से ये एक है। मंदिर की मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने बनवाया व स्थापित किया था, लेकिन मंदिर को बनवाया 1929 में कश्मीर के किसी शासक ने था, ये मंदिर नील पर्वत पर स्थित है, जो हरिद्वार से 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ गाड़ी, टैक्सी या रोपवे के द्वारा जाया जा सकता है।

3. **शांति कुज:-** देश में सभी जगह फैले गायत्री परिवार का ये मुख्य गढ़ है, इसे 1971 में बनाया गया था, यहाँ आश्रम भी है जहाँ कई तरह की शिक्षाएँ दी जाती है।

4. **माया देवी मंदिर:-** ये भी 52 शक्तिपीठ में से है, इसका निर्माण 11 वीं शताब्दी में हुआ था, देवी सती के इस मंदिर की बहुत अत्याधिक मान्यता है कहते है देवी के शरीर का दिल व नाभि यहाँ गिरा था, जो कोई यहाँ कोई मन्नत मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है ।

5. **मनसा देवी मंदिर:-** यह मंदिर बिलवा पर्वत जो शिवालिक पहाड़ियों में आता है, वहां स्थित है, यहा मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर में मान्यता मांग कर मंदिर के पास पेड़ में धागा बांधा जाता है, कहते है इससे हर प्रार्थना पूरी होती है, मान्यता पूरी होने के बाद धागा खोलने के लिए फिर इस मंदिर में जाना जरूरी माना जाता है। इस मंदिर में सिर्फ रोपवे के द्वारा ही जाया जा सकता है, जिसे आम भाषा में उड़नखडोला भी कहते हैं।

6. **वैष्णो देवी मंदिर:-** कश्मीर के कटरा में स्थित वैष्णो देवी का मंदिर जगजग में प्रसिद्ध है, उसी मंदिर के जैसे इस मंदिर को बनाया गया है। यह मंदिर भी पहाड़ी में स्थित है, जहाँ जाने के लिए वैष्णो देवी जैसे कठिन चढ़ाई व गुफाओं से होते हुए जाता पड़ता है ।

7. **पावन धाम:-** यह मंदिर अपने अनोखी व अलग तरह की कलाकृति के लिए जाना जाता है, इस मंदिर में मूर्तियों को कांच व आईने से दीवार पर बनाया गया है, इस मंदिर को 1970 में स्वामी वेदांता जी महाराज के द्वारा बनाया गया था ।

8. **विष्णु घाट:-** कहते हैं यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था, इस घाट की मान्यता है कि यहाँ नहाने से सारे पाप मिट जाते है, पूरे हरिद्वार में सबसे अधिक लोग इसी घाट में जाते हैं ।

9. **भारत माता मंदिर:-** भारत देश का एकलोता ऐसा मंदिर जहाँ भारत माता की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद द्वारा किया गया था, मंदिर का उद्घाटन इंदिरा गाँधी ने किया था, मंदिर में 8 मंजिल है, हर एक मंजिल में अलग-अलग देवी देवता, स्वतंत्रता संग्रामी की मूर्ति व फोटो है साथ ही यहाँ भारत के इतिहास के बारे में कुछ अनजानी बातें भी पता चलती है, भारतीय इतिहास का यहाँ अच्छा संग्रहालय है ।

10. **दुधाधारी बर्फानी मंदिर:-** यह मंदिर बर्फानी बाबा के द्वारा उनके आश्रम में बनाया गया था, इस मंदिर को सफेद संगरमर से बनाया गया है, जहाँ सभी देवी देवताओं के मंदिर मौजूद है ।

11. **चिल्ला अभयारण्य:-** हरिद्वार से 11 किलोमीटर दूर ये अभयारण्य पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। धार्मिक मन्दिर से दूर ये प्रकृति की सैर कराता है, जहाँ कई तरह जंगली जानवर देखने को मिलते है ।

12. **सप्तऋषि आश्रम:-** यहाँ सात ऋषि बैठ कर एक साथ तप आराधना किया करते थे, इसे सप्तऋषि कुंड भी कहते हैं ।

13. **पारद शिवलिंग:-** इस शिवलिंग 150 किलो का है, यहाँ महाशिवरात्रि में मेला लगता है, यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ है, जिसे देखने मुख्य रूप से लोग यहाँ जाते है ।

हरिद्वार में धार्मिक शांति के साथ प्रकृति के कई रूप देखने को मिलेगें, यहाँ लोग मन की शांति के लिए जाते है, विदेश से सैलानी यहा जाते है और हिन्दू धर्म में लीन हो जाते है और उसे ही अपना लेते हैं ।

हरिद्वार कैसे पहुँचे:-

☆ **हवाई जहाज के द्वारा:-** हरिद्वार का निकटतम एयरपोर्ट देहरादून का जॉलीग्रान्ट एयरपोर्ट है, ये देहरादून से 22 किलोमीटर दूर है एवं हरिद्वार से 41 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट से हर बड़े शहर की डायरेक्ट फ्लाइट रोज नहीं रहती है, लेकिन दिल्ली से यहाँ फ्लाइट मिल जाती है। इस एयरपोर्ट से हरिद्वार जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी या रेगुलर बस मिल जाती है ।

☆ **ट्रेन के द्वारा:-** हरिद्वार में रेलवे जंक्शन है, जिससे देश के हर कोने से ट्रेन की आवाजाही है, ट्रेन से आसानी से हरिद्वार पहुँच जा सकता है ।

☆ **रोड के द्वारा:-** देश के बड़े शहरों से यहाँ के लिए लक्ज़री बस चलती है, दिल्ली से यहा रेगुलर हर तरह की बस चलती है। दिल्ली से हरिद्वार 209 किलोमीटर है, जहाँ अपनी प्राइवेट गाड़ी के द्वारा भी जाया जा सकता है ।

हरिद्वार जाने का सही समय:-

हरिद्वार जाने के लिए अपनी सुविधानुसार समय चुने, बरसात में कही भी जाना असुविधाजनक ही होता है, बारिश की वजह से अच्छे से कहीं भी नहीं घूम पाते हैं। हरिद्वार भी बारिश में जाना थोड़ा मुसीबत वाला हो सकता है। एक तो बारिश में यहाँ पहाड़ी इलाका होने के कारण आये दिन पहाड़ गिरने, रोड बंद होने की खबर आती है। इसलिए यहाँ बारिश के बाद सितम्बर से जून तक जाया जा सकता है। यहाँ ठण्ड भी कड़ाके की पड़ती है, इसलिए अधिक ठण्ड पड़ने पर प्लान को थोड़ा आगे बढ़ा दें....

अध्यक्षोवाच.....

सर्वप्रथम, नववर्ष 2018 की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनायें।

नववर्ष की पावन बेला पर मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि कर्मचारी संगठन एवं अधिकारी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा स्टाफ आवास ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी की मांग को देखते हुए हमारे द्वारा प्रायोजक बैंक के दिशा –निर्देश प्राप्त होते ही शीघ्र अपने स्टाफ के आवास ऋण सीमा को निम्नानुसार संशोधित कर दी गयी है:

अधिकारी संवर्ग हेतु	–	रू0 40 लाख तक
लिपिकीय संवर्ग हेतु	–	रू0 25 लाख तक
अधीनस्थ संवर्ग हेतु	–	रू0 15 लाख तक

साथियों! जैसा कि आप विदित हैं वर्तमान में बैंकों के लिये अपने एनपीए ऋणों को नियंत्रित करना एक चुनौती बनी हुइ है और उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में यह और भी अधिक दुष्कर है, तथापि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बैंक के जुझारू, कर्मठ एवं लगनशील साथी हर सार्थक प्रयास कर बैंक के एनपीए को नियंत्रित करनेमेंसफल रहेंगे। इसके लिये सभी साथी अपनी–अपनी शाखा के ऋण खातों का साप्ताहिक अन्तराल में स्टाफ बैठक कर शाखा स्तर पर एनपीए खातों SMA – 3, SMA-2,वं SMA-1 के बारे में चर्चा करें। इससे शाखा प्रबन्धक एवं ऋण अधिकारी के अतिरिक्त शाखा में कार्यरत अन्य सभी स्टाफ को शाखा के एनपीए ऋणियों एवं एनपीए होने जा रहे ऋणियों की जानकारी प्राप्त होगी, और वे अपने–अपने स्तर से इन ऋणियों से सम्पर्क कर, शाखा के एनपीए स्तर को घटाने में सहयोग दे सकते हैं।

मेरी अपेक्षा है किस भी स्टाफ सदस्य टीम भावना से कामकरते हुए बैंक के एनपीए ऋणों को नियंत्रित करें। शाखा की लाभप्रदता बनाये रखने के लिये एनीपए ऋण खातों को नियंत्रित कर इनमें कमी लाना अत्यन्त आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास शाखा के व्यवसायिक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ–साथ एनपीए ऋणों की वसूली के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को दृढ़ संकल्प कर अपने शाखा के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सार्थक प्रयास किये जाएं।

साथियों, वर्ष 2018 बैंक के लिये सफलता का वर्ष बने। इसके लिये प्रत्येक शाखा एवं प्रत्येक स्टाफ को अपने–अपने स्तर से सकारात्मक कार्यवाही करनी होगी। आवश्यक है कि शाखा स्तर से एनपीए में कमी लाने के लिये SMA-1 से ही गहन अनुश्रवण किया जाए। SMA-1, SMA-2, SMA-3 व NPA हो चुके खातों के खातेदारों से यथा समय सम्पर्क स्थापित किया जाए। साथ ही शाखा के । UCA में दर्शित बट्टे खातों की राशि की वसूली हेतु भी वांछित प्रयास किये जाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने कुल ऋणों का 75% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित किये जाने हैं। इसलिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के गुणवत्ता युक्त ऋण प्रस्तावों को आकर्षित करने हेतु सार्थक प्रयास किये जाएं। शाखा ऋण वितरण के वार्षिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

शाखायें अपने CASA जमाओं को बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिये शाखायें अपने क्षेत्र में बचत खातों को खोलने के प्रयासों के साथ–साथ चालू खाता खोलने के लिये विशेष अभियान चलायें। वर्तमान परिदृश्य में व्यापारियों/ठेकेदारों को GST हेतु चालू खाता खोलने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिये इन व्यक्तियों से सम्पर्क कर शाखायें अपने चालू खातों में बढ़ोत्तरी करें। इसके लिये सभी स्टाफ सदस्य अपने–अपने स्तर से मार्केटिंग करें।

शाखाओं की आडिट रिपोर्ट्स की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश मेंआता है कि अधिकांश शाखायें उत्कृष्ट अथवा सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं, किन्तु कतिपय शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट से यह इंगित होता है कि वेनिरीक्षण रिपोर्ट को समुचित महत्व नहीं देती है। शाखाओं से अनुरोध है कि वे अपनी शाखा की निरीक्षण रिपोर्ट का पुनरावलोकन करें तथा इनके निस्तारण को प्राथमिकता प्रदान करें। शाखायें के0वाई0सी0 नियमों का परिपालन सुनिश्चित करें, और लम्बित कार्य को शीघ्रपूर्णकरें, ताकि बैंक का जोखिम कम से कम रहे एवं खातों का नियमानुसार जोखिम का वर्गीकरण यथा समय कर लिया जाए। जिन

Mankind must remember that peace is not God's gift to his creation, peace is our gift to each other.

शाखाओं का निरीक्षण आगामी त्रैमास में ड्यू हो, वे शाखायें, ऋण दस्तावेजों का स्वयं भी निरीक्षण कर लें, ताकि छोटी-छोटी कमियां निरीक्षण से पहले ही ठीक को जाएं। प्राप्त किये गये रिवाइवल लेटर ऋण दस्तावेजों के साथ संलग्न कर लिये जाएं।

शाखा की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिये, जहां एनपीए को नियंत्रण करना है, वहीं शाखा के आय क्षरण को रोकना भी एक महत्वपूर्णक दम है। समस्त शाखायें अपनी शाखा के आय के विभिन्न आयामों का पुनरावलोकन करें, और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास के दौरान सभी प्रकार के सेवा प्रभार, उचित ब्याज प्रभार आदि प्रभारित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि लाभ-हानि खाते की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित हो और सन दीले खाकारों को अंकेक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी प्राप्त न होने पाये।

बैंक के अन्य आय को बढाने के सीमित संसाधनों के आलोक मेंक्रॉस सेलिंग अन्य आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिये एसबीआई लाईफ, एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स, नेशनल इन्श्योरेन्स क0 लि0, एपीवाई पंजीकरण आदि के प्रस्तावों को प्राप्त करअधिक से अधिक प्रीमियम संग्रहण किया जाए।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) भारत सरकार की एक महत्वाकांशी योजना है और उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण शाखायें वित्तीय समावेशन के विभिन्न कार्यों को जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। 15.12.2017 तक आधार सीडिंग का कार्य 85% से अधिक और मोबाइल सीडिंग का कार्य 72% से अधिक हो चुका है, शाखायें शीघ्र इस कार्य का पूर्णकर 100% प्राप्ति सुनिश्चित करें।

हमारे बैंक में अनुभवी, मेहनती एवं लगनशील कर्मचारी कार्यरत हैं, और हाल ही के वर्षों में लगभग 40% युवा अधिकारी / कर्मचारी को भी बैंक में नियुक्ति दी गयी है, जो कि काफी ऊर्जावान हैं, इन सभी के सहयोग / योगदान से शाखायें अपने एनपीए ऋणों में नियंत्रण रखकर एवं शाखा व्यवसाय बढ़ाकर बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने में सक्षम हैं। समस्त स्टाफ सदस्यों से अपेक्षा है कि वे टीम भावना से कार्य में तत्परता लाकर अधिक से अधिक जनता को बैंक से जोड़े और शाखा के व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चितकरें।

शुभकामनाओं सहित।

Peace gives victory to both the sides.

Knowledge Series (5).....

...continued from the previous issue

LOAN DOCUMENTATION

Avnish Pandey
Manager (Training)
UGBLC

Precautions to be taken in case of non-judicial stamp papers:

- Every instrument written on paper stamped with impressed/embossed Stamp should be written in such a way that the stamp appears on the face of the instrument and cannot be reused in any manner.
- Two documents should not be written on one stamp paper. If more than one stamp paper is required to be used for executing one document, to make up the total amount of stamp duty for that document, portions of the document should be written on each of the stamp paper used, and the stamp paper of higher denominations should be used in the order of their value. Eg. If a document is to be stamped with Rs. 100/- and the available stamp papers are in the denomination of Rs 50, 20, 20 and 10, (because one stamp paper of Rs. 100/- is not available), then the 1st page should be on Rs.50/- next two pages on Rs.20/- each and last page on Rs. 10/-

Consequences of unstamped or under stamped documents:

- The documents taken should not be unstamped or under stamped under any circumstance if the same is subjected to stamp duty.
- While in certain cases, sanction may be accorded by the courts or authorities to admit an unstamped or insufficiently stamped document on payment of penalty in addition to the stamp duty determined to be payable under the law, the following documents will be considered invalid if they are unstamped or under stamped –
  - Demand Promissory Notes
  - Usance Bill of Exchange

  The unstamped/under stamped documents are liable to be impounded by the stamp inspecting government officials. For averting an impounding of unstamped or under stamped documents, care should be taken to see that they have been adequately stamped. Extra care should be taken before the documents are filed in any Court of Law or Government Offices in any suit or other proceedings, in which case the same needs to be vetted by the Bank's local lawyer to ensure their enforceability.

Time of execution:

- Documents chargeable with duty and executed by any person in India shall be stamped before or at the time of execution.
- Stamping of documents executed abroad: Every instrument chargeable with duty executed only out of India and not being a bill of exchange, or promissory note, may be stamped within three months after it has been first received in India.
  - Where any such instrument cannot, with reference to the description of stamp prescribed thereof, be duly stamped by a private person, it may be taken within the said period of three months to the Collector, who shall stamp the same, in such manner as the State Government may by rule prescribe, with a stamp of such value as the person so taking such instrument may require and pay for.
  - In this connection, the execution of such documents by the authorities concerned outside India should be in the presence of an authorized official of the Embassy in the case of a NRI and for others like Corporate, it should be in the presence of a Notary Public of that country.
  - If a personal guarantee is to be executed or any documents is to be executed by a person who is neither an NRI nor even a person of Indian origin, it should be in the presence of Notary Public in that country and in all these documents, as far as individuals are concerned, the passport details should be furnished.

Blank Spaces:

- All blank spaces in the forms should be properly filled up with the necessary particulars, facts and figures. In case of blanks which are not applicable for a particular advance, a dash should be put in the blanks and should be authenticated by the executants.

Peace is a journey of a thousand miles and it must be taken one step at a time.

- All irrelevant clauses and internal instructions intended for guidance for completing the documentation should also be deleted while finalizing the documents.
- ***Authentication:-*** The executants should also sign in full the documents across the pages where blanks are filled in.

Date:

- Ensure that all documents bear the date of their execution.
- Where the co-borrowers are signing a document on different dates, the fact of their doing so and the correct date must be mentioned by them in their **own handwriting**. In such cases the **last date as appearing therein would be deemed as the date of execution of the deed.**
- Back dated documents should not be obtained as these are not deemed properly executed documents and shall not stand good in a Court of Law.

Precautions:

- **The Branch should ensure that the borrower is not a minor, an un discharged insolvent or a lunatic.**
- Documents should be filled up carefully before obtaining signature of the executants on it.
- The full name and address of the borrower/guarantor should be clearly mentioned in the documents at the appropriate place provided for. If any document is filled up subsequent to its execution, it may be construed as being at variance without the consent of the party amounting to material alteration rendering the document defective/invalid. In the normal case variance in the ink or pen used to fill up or sign the documents by the executants including the blanks in the documents should be avoided. Such actions should be completely avoided as they put the Bank as well as the concerned official at unnecessary risks.
- The execution of all documents should always be done in the presence of the officer of the bank responsible for obtaining them.
- As far as possible the documents pertaining to a sanction should be executed at one go.
- The borrower should not be allowed to take away the documents for obtaining the signatures of other co-borrowers / guarantors under any circumstances.
- The documents should be got completed in one sitting. Any infirmity in this regard may lead to avoidable doubts regarding fair execution of the documents.
- The documents must be complete in all respects and all the blanks in the documents should be properly and correctly filled in. The documents should not be left blank under any circumstances
- All the relevant parties to the contract should sign the Documents.
- Same ink should be used while filling up the document as far as possible
- Where the document extends to more than one page, the executants should sign at the foot of all the pages, including schedules.

Alterations / Additions:

- All types of additions, alterations, insertions, striking, over writings, deletions, dash etc. in the documents must be authenticated by the executants under his full signature in the same style as elsewhere signed in the documents. All blanks must be filled in correctly so as to avoid spelling mistakes in the names of executants, the firm, company etc. Keeping the documents blank or even one or more columns blank may invalidate the whole document. All corrections should be authenticated.

Presence of Authorized Official:

- The documents should be executed in the presence of the Officer of the bank authorized for this purpose. Such Officer must be able to identify the borrower(s) personally.

Photocopy :

- The Documents should not be executed on the photocopy of the formats.

Place of Execution:

- Normally, the documents should be executed at the branch where the credit facilities are allowed.
- Where the co-borrowers are signing a document at different places the fact of their doing so and the correct place must be mentioned by them in their own handwriting below their signatures.

Signature Style:

- Ensure that the Borrower / Guarantor affixes full signature/s consistently throughout on all the Documents / Pages of the Documents.
- Where borrower signs in left hand, a small note should be annexed to the documents that the borrower has signed in left hand.

Execution by illiterate/s:

Where an illiterate person affixes his thumb impression the name of the executant should be written after the LTI / RTI as follows –

Left / Right Thumb Impression of

.....

(Name of the executant)

- Where the executant is illiterate or signs **in vernacular** the contents of the documents should be explained to him in a language that he understands by a person known to the Borrower as well as the Bank.
- The Translation Certificate in the prescribed proforma should be separately obtained duly signed by such translator and executants.

Documents requiring attestation:

- In the case of documents requiring attestation, the Branch Head or any employee authorized by the Bank may sign under the witness column. However, besides him, signature of one more person should be taken as witness. As the onerous duty of a witness is to identify the borrower at a future date, it is always advisable to get one witness from our own employees or Bank's advocate. No document other than **Registered Mortgage Deed** and **Power of Attorney** and **Will** needs to be attested. Hypothecation/pledges/loan agreements should never be attested as otherwise they may attract ad-valorem stamp duty.

Mode of Execution:

I. Individuals and Sole Proprietorships:

- The individual may sign his full name or his abbreviated signature but it must be his own name and signature. A sole proprietor may sign as sole proprietor as follows:

  For AB & SONS sd/- AB

  Sole Proprietor

- If someone is signing under a Power of Attorney (POA) the following precautions should be taken-
  - ❑ Ensure that the POA is properly executed with the appropriate empowering clauses and is valid and subsisting.
  - ❑ Ensure that the stamp duty as per the rate applicable to the state in which the executant is residing is paid and is duly notarized.
  - ❑ If the POA is executed abroad it should be ensured that after receipt in India i.e.the state in which the executant holder resides, the proper stamp duty is paid therein. Normally it should be done within 3 months from the date of receipt of the POA.
  - ❑ Though under the law there is no time limit for the validity of the POA considering the fact that the POA is always revocable, if the POA produced is over three years it should be ensured that the Bank gets a confirmation regarding the existence of the POA.

2. Joint Accounts:

- All the joint parties should join in the application for the advance and in signing the documents. Authority to either or any one of the joint parties to operate the current/ savings bank account in credit does not apply to borrowing without the concurrence of all of them.
- In the event of death, lunacy or insolvency of one or more of the joint borrowers all operations on the account should be stopped and instructions obtained from the Regional Office.

3. Partnership Firm:

- Number of partners in a firm carrying on banking business should not exceed 10 and in a firm carrying on other business should not exceed 20.
- It is necessary that the firm is registered with the Registrar of Firms. A copy of the Registration Certificate should be obtained.
- Letter of Authority to operate the Borrowal account in favour of a third party /partner should be signed by all the partners.
- Although one partner can bind the firm, it is necessary that all partners sign all the documents and letters of acknowledgment of debt/ revival letter.
- Loan documents should be executed by all partners in their capacity as partners. The document can also be signed by one partner if he is so authorized by other partners by way of Letter of Authority to this effect. Thus the signatures would be-

For XYZ & SONS

X

Y

Z

PARTNER

- All partner/s should sign the documents in their individual capacity as well and it is advisable to include the following language in the signing clause: "Mr/Ms[●]"
- No signature of a minor (or his guardian) is required because he is only admitted to benefits of partnership. However his birth date be taken on record and be ascertained whether on attaining majority he has joined as partner or not.
- If a limited company is a partner in a firm, authorized persons of the company should sign documents showing the company as a partner. The manner of signature will be as follows:

FOR ABC TRADING CONCERN

X

Y

FOR N BROTHERS LTD.

N

DIRECTOR

PARTNER

- If under the Articles of Association of the company the documents are to be executed by affixing the company's common seal, the company should be asked to affix the seal as per the Affixation of Common Seal Clause in the Articles of Association in the presence of directors mentioned in the resolution to be passed by the Board. If a charge is created over the assets of the company this charge should be registered with the Registrar of Companies within 30 days. Search Report with the Registrar of Companies should be obtained and kept with the documents.
- When a new partner is admitted in a firm a fresh account need not be opened but a fresh promissory note be got executed when facilities against security are given. The old account need not be closed but new instructions for operating the account be obtained. When the facility is secured by mortgage or hypothecation etc. neither the account be closed nor fresh documents be obtained so as to disturb priority and to avoid unnecessary expenses on stamp duty & registration etc. but only an acknowledgement of debt signed by all partners existing and new and by the guarantors should be obtained along with a declaration by the incoming partner that he would be liable for the existing advances. Fresh operating instructions should be obtained. Besides a copy of the deed re-constituting the Partnership should be obtained.
- It is necessary that acknowledgment of debt be signed by all the partners in their capacities as partners and in their personal/individual capacities and also by the guarantors/co-obligants/co-signors.
- In the event of death, retirement or insolvency of a partner, the operations in the account should be stopped on receipt of notice of such happening. A letter should be immediately addressed to the retiring partner. A fresh current account (in credit) should be opened under fresh mandate by the remaining partners, if they desire to continue the facility and a new account with the reconstituted firm should be opened after obtaining fresh documents/ link documents. The old account can thereby be adjusted. Branches should consult the Bank's Regional Offices/Head Office in all these cases.

.....to be continued.....

स्टाफ सम्मान समारोह की कुछ झलकियाँ

Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding.

All works of love are works of peace.

प्रभु एक है

प्रभु एक है, लोग अनेक ।
ध्येय एक है, मार्ग अनेक ।।
प्रभु को पाने का है विचार नेक ।
उसे पाने के मार्ग अनेक ।।
गृहस्थी गृहस्थ से, तो तपस्वी तप से पावे ।
योगी योग से, जो जोगी जोग से पावे ।।
भक्त भक्ति से, तो ज्ञानी ज्ञान से जाने ।
साथी साथ से, तो प्रेमी प्रेम से माने ।।
जग सारा है, भ्रम की माया ।
सपना टूट मिट जायेगी यह काया ।।
जीवन एक है, विचार अनेक ।
प्रभु को पाने का है विचार नेक ।।
घट-घट वासी है, दर्शन सरल ।
उसका प्रेम, स्नेह है अविरल ।।
उसके प्रेम से बंध जाते है लोक अनेक ।
प्रभु को पाने का विचार है नेक ।।
प्रभु एक है, लोग अनेक ।
ध्येय एक है, मार्ग अनेक ।।

रचयिता
पराशर दत्त जोशी ''पारस''

मुझे आप अपना सा बना दो

प्रभु ! परम् आर्शीवाद दो अपना ।
मेरा पूर्ण कर दो जीवन का सपना ।।
मिटा दो मेरे ''मैं'' की हस्ती ।
छा जाये मेरे मन में भी मस्ती ।।
आप हमेशा करते रहे हो मेरा ध्यान ।
मैं भी करता हूँ दिल से आपका सम्मान ।।
किन्तु आज तक नहीं मिला वह परम् ज्ञान ।
और न इन आँखों से पाये आपको पहचान ।।
मेरे जीवन में अवतार बनकर आ जाये ।।
मेरे मन-मस्तिष्क में हमेशा छा जाओ ।।
अहम को तोड़कर मेरे ''मैं'' को हटा दो ।
अपने आर्शीवाद की धारा से मुझे नहला दो ।।
मुझे अपने में मिलाकर एक कर दो ।
मेरे जीवन में सत्य स्नेह भर दो ।।
प्रभु ! परम आर्शीवाद दो अपना ।
मेरा पूर्ण कर दो जीवन का सपना ।।
मेरे जीवन से ''मैं और मेरा'' हटा दो ।
मुझे आप अपना सा बना दो ।।
मुझे आप अपना सा बना दो.....

रचयिता
पराशर दत्त जोशी ''पारस''

मीडिया की नजर से

The quest for peace begins at home, in school and in the workplace.

कुछ अनकहे एहसास-ए-दिल

मेरी दिवानगी का सबब बताती, इन फिज़ाओं की बेहोशियाँ।
उस पर हर पल दिल धड़काती, तेरी आँखों की मदहोशियाँ
प्यार भरे नगमे गुनगुनाती, तेरी ज़ुल्फों की सरगोशियाँ।
सोये हुए अरमां जगाती, तेरे होंठों की खामोशियाँ।
मेरी दिवानगी का सबब बताती, इन फिज़ाओ की बेहोशियाँ।

खो गई तू न जाने कहाँ इस दुनिया की भीड़ में,
पर तेरे होने का हँसी एहसास आज भी है।
यूँ तो दफन हैं हजारों राज़ इस दिल में,
पर कुछ जवाबों की तलाश आज भी है।
यूँ तो चेहरे कई देते है रोज़ दस्तक दर पे मेरे,
पर अपनी वो मुलाकात खास आज भी है।
यूँ तो मेरी शख्सियत का मुरीद है ज़माना,
पर ज़िन्दगी को तेरी आरजू-ए-प्यास आज भी है।

किन लफ्जों मे तुझे बयां करूं,
कुछ ख्वाब कभी बताए नहीं जा सकते।
लाज़मी है दिल का बेचैन हो जाना तुझे देख कर,
कुछ जज़्बात कभी छुपाए नहीं जा सकते।
फलक का तारा है तू और मैं ज़मीं बंजर,
कुछ छोर कभी मिलाए नहीं जा सकते।
तू नहीं तो तेरी आरजू ही सही,
कुछ अरमां कभी मिटाए नहीं जा सकते।

रचयिता
गौरव लेखी
मैनेजर (आई.टी.) हैड क्वार्टर

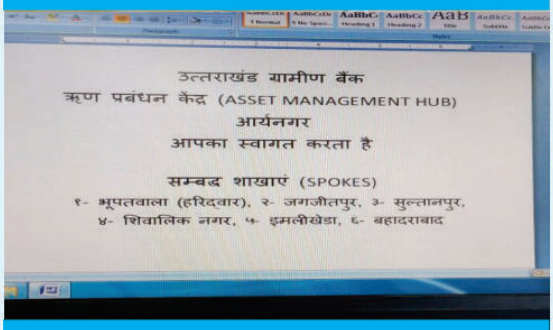

The real and lasting victories are those of peace and not war.

सम्पादक मण्डल

संरक्षक : श्री संजय अग्रवाल (अध्यक्ष)
संयोजक : श्री पराशर दत्त जोशी
वरिष्ठ प्रबन्धक (बोर्ड सचिवालय)

1. श्री पूरन चन्द (महाप्रबन्धक-I)
2. श्री मान सिंह गर्ब्याल (महाप्रबन्धक-II)
3. श्री के.सी.एस. बिष्ट (वरि. प्रबन्धक लेखा)
4. श्री नवीन रैना
(वरि. प्रबन्धक-योजना व विकास)

नोट-'गंगोत्री' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार सम्बन्धित रचनाकारों के स्वयं के हैं, जिनसे बैंक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह बैंक की गृह पत्रिका है, जिसका प्रकाशन बैंक में आन्तरिक वितरण हेतु है तथा इसमें बैंक सहकर्मियों या उनके आश्रितों की रचनायें सम्बन्धित शाखा के माध्यम से स्वीकार की जाती है। समस्त स्टाफ अपनी रचनायें और अपने शाखा क्षेत्र में होने वाले आयोजनों से सम्बन्धित लेख/फोटोग्राफ प्रेषित कर अधिक से अधिक सहभागिता करें। कृपया इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार हेतु उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, योजना विभाग, प्रधान कार्यालय, 18-न्यू रोड, देहरादून से सम्पर्क कर सकते हैं।

दूरभाष सं. 0135-2710660, फैक्स: 0135-2710662, E-mail : ugb_dun@rediffmail.com

Design & Printed by : Unique Printing House, DDN # +91-135-2723608

The most valuable possession one can own is an open heart.